

आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में
व्यस्त हैं। अतः इत्तवा होकर पत्रावली
आइन्दा.....को पेश हो।


27-9-24

27-9-24

पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थीनी वकील उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय में राजस्व आवेदन दिनांक 13.09.2022 को दर्ज करने के बाद प्रार्थीनी वकील को विप्रार्थीगण के नोटिस डाक रजिस्टर्ड भेजने के आदेश दिये गये थे। परन्तु प्रार्थीनी वकील द्वारा आज तक विप्रार्थीगण के नोटिस पेश नहीं किये। प्रार्थीनी वकील को विप्रार्थीगण के नोटिस तामिली कई अवसर दिये जाने बावजूद भी प्रार्थीनी वकील ने विप्रार्थीगण के नोटिस आज दिनांक तक पेश नहीं किये। लगभग दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी विप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत प्रार्थीनी का राजस्व आवेदन अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

